न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/32/2025	2025/75	11.02.2025	17-09-2025

1– प्रताप सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम गोलाहेडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– सरकार जर्ये तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

असल रेस्पोडेन्ट

2– हवा सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम गोलाहेडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

3– विक्रम सिंह मोहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम गोलाहेडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

तरतीबी रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनाक 20.08.2018 प्रकरण संख्या 09/2018 धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुऐ आराजी खसरा न0 239 रकबा 0.59 है0 में से रकबा 0.01 है0 किस्म बजड में मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किये जाने पर मौके से बैदखल किये जाने हेतु निर्णय पारित किया गया है, को अपास्त किये जाने बाबत।

[redacted]पस्थित–

01. श्री जनार्दन शर्मा – वकील अपीलान्ट

02. ———— – अनुपस्थित

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 प्रकरण संख्या 09/2018 धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत आराजी खसरा न0 239 रकबा 0.59 है0 में से रकबा 0.01 है0 किस्म बजड में मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किये जाने पर मौके से बैदखल किये जाने/शासती कायम किये जाने हेतु निर्णय पारित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 239 रकबा 0.01 है0 किस्म बजड वाके ग्राम गोलाहेडा तहसील मुण्डावर में स्थित है, उक्त आराजी पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर कोई निर्माण कार्य नही किया गया है। निर्माण कार्य अपीलान्ट की अन्य आबादी/खातेदारी की आराजी पर है। जो अतिक्रमण की परिभाषा में नही आता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना पैमाईश करवाये अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टान को अतिक्रमी मानते हुऐ निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई साक्ष्य एंव सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया गया। जो नोटिस जारी किये गये है, वो विधि विरूद्व है, अपीलान्ट की कोई व्यक्तिगत रूप से तामील नही हुई है तथा किसी अन्य व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर किये गये है। नोटिस की पुस्त पर जो हस्ताक्षर है वो अपीलान्ट के नही है, तथा न ही अपीलान्ट के हस्ताक्षर से मेल खाते है। तथा तरतीबी रेस्पोडेन्टान हवासिंह, विक्रमसिंह के अलग से कोई नोटिस जारी नही किये गये है, एक ही नोटिस में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के नाम अंकित किये गये है। इस प्रकार तामील भी विधिवत नही हुई है। आराजी धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित नही होती

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 13–11–2018 को हुई, जब

है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अतिकमी भी माना जावे, तो विकल्प में उक्त आराजी अपीलान्ट को अलॉट/रेग्यूलाईज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्टान के एक ही हित है, इस लिए रेस्पोडेन्टान संख्या 2, 3 को तरतीबी रेस्पोडेन्टान बनाया जावे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.08.2018 की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 13.11.2018 को हुई, जब राजस्व कर्मचारी अपीलान्ट के निर्माणशुदा मकान से बेदखल करने मौके पर पहुचे, तथा पारित निर्णय के संबंध में जानकारी दी गयी। जिस पर अपीलान्ट द्वारा दिनाक 13.11.2018 को नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया जो नकल दिनाक 15.11.2018 को तैयार होकर प्राप्त हुई। इस प्रकार सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 13.11.2018 से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। दिनाक 20.08.2018 से दिनाक 13.11.2018 तक का समय जानकारी के अभाव में काबिल माफी है, एवं कन्डोन किये जाने योग्य है। इस हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.08.2018 को निरस्त किया जावे।

तरतीबी रेस्पोडेन्टान बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुऐ, न ही उनके द्वारा कोई लिखित जवाब पत्रावली पर पेश किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 20.08.2018 के विरूद्व दिनाक 27.11.2018 को पेश की गयी है, जो करीब 3 माह 6 दिन पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.08.2018 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 13.11.2018 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य है, कि आराजी खसरा न0 239 रकबा 0.01 है0 किस्म बजड वाके ग्राम गोलाहेडा तहसील मुण्डावर पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर कोई निर्माण कार्य नही किया गया है। निर्माण कार्य अपीलान्ट की अन्य आबादी/खातेदारी की आराजी पर है। जो अतिक्रमण की परिभाषा में नही आता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना पैमाईश किए अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टान को अतिक्रमी मानते हुऐ अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई साक्ष्य एंव सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया गया। जो नोटिस जारी किये गये है, वो भी विधि विरूद्व है, क्योकि अपीलान्ट की कोई व्यक्तिगत रूप से तामील नही हुई है, तथा किसी अन्य व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर है, नोटिस की पुस्त पर जो हस्ताक्षर है, वो अपीलान्ट के नही है, तथा न ही अपीलान्ट के हस्ताक्षर से मेल खाते है। तथा तरतीबी रेस्पोडेन्टान हवासिंह, विक्रमसिंह के अलग से कोई नोटिस जारी नही किये गये है, एक ही नोटिस में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के नाम अंकित किये गये है। इस प्रकार तामील भी विधिवत नही हुई है।

तहत अदालत की मूल पत्रावली तलब किये जाने हेतु बार–2 पत्र, स्मरण पत्र जारी किये गये किन्तु आदिनाक तक तहत अदालत की मूल पत्रावली नही भिजवायी गयी। उसकी ऐवज में केवल फौटो प्रतिप्रति उपलब्ध है, का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का बल्लूवास तहसील मुण्डावर द्वारा दिनाक 13.07.2018 को प्रताप, हवासिंह, विक्रमसिंह पुत्रान मोहरसिंह जाति जाट साकिन गोलाहेडा के विरूद्व सम्वत 2075 आराजी खसरा न0 239 रकबा 0.59 है0 में से 0.01 है0 किस्म बंजड में मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया गया पत्रावली

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

दिनाक 26.07.2018 को नियत की गयी। इसके उपरान्त रिथे ही आदेशिका दिनाक 30.07.2018 लिखी गयी, जिसमें अंकित किया गया है, कि पत्रावली का अवलोकन किया गैरसायल उपस्थित आया और नोटिस जवाब पेश नही किया। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनाक 08.08.2018 को पेश हो आदेशिका पर पीठासीन अकािरी के हस्ताक्षर नही है। दिनाक 08.08.2018 की आदेशिका में गैरसायल उपस्थित नही होने के कारण पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनाक 20.08.2018 को नियत की गयी। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.08.2018 पूर्व में एक छपे–छपाये कागज पर लिखा गया है, जिसमें पूर्व में लिखी लाईन को काटा हुआ है, जिस पर पीठासीन अधिकारी के लधु हस्ताक्षर भी नही है।, पटवारी हल्का द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत अतिकमी कमशः प्रताप, हवासिंह, विकमसिंह पुत्रान मोहरसिंह जाति जाट साकिन गोलाहेडा के विरूद्ध संयुक्त रूप से पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा जारी नोटिस संयुक्त रूप से जारी किया गया है, जारी नोटिस की तामील रिपोर्ट में केवल प्रताप को नोटिस की प्रति दी जाकर प्राप्ति की रसीद उपलब्ध है, विधिक प्रावधानुसार नोटिस प्राप्ति की रसीद /तामील रिपोट व्यक्तिगतरूप से पृथक–पृथक होनी चाहिऐ थी। न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील में अपीलान्ट के हस्ताक्षर/नोटिस पर उपलब्ध तामील प्राप्ति के हस्ताक्षर है उनमें मिलान नही हो रहा है, अर्थात दौना हस्ताक्षर में अन्तर है। इससे स्पष्ट है, कि अपीलान्ट की पुख्ता तामील नही करायी गयी है। विधित प्रावधानुसार कानूनन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकार को पुख्ता तामील करायी जाकर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, किन्तु तहत अदालत द्वारा विधिक प्रावधानो को दरकिनार कर निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.08.2018 संख्या 09/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर तिजारा (राज0)

13–11–2018 को हुई, जब